

विचार बिन्दु

एकता चापलूसी से कायम नहीं की जा सकती। –महात्मा गाँधी

जाति संगठन सामाजिक सुधार नहीं, सत्ता में हिस्सेदारी चाहते हैं

भारतीय संसदीय लोकतंत्र की प्रतिस्पर्धी राजनीति में अभी जातियों का मुद्दा गरमाया हुआ है। एक बड़े फैसले में सरकार ने घोषणा की है कि अगली जनगणना में जाति की गणना को भी शामिल किया जाएगा। हालाँकि ऊपर से ऐसा लगता है कि यह मुद्दा वोटों की सामान्य राजनीति का है किन्तु इसके ऐसे निहितार्थ भी हैं जिस पर अकादमिक बहस हो सकती है। जातियाँ लंबे समय से भारतीय समाज में रही हैं, किन्तु उनके आधुनिक संगठन स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बने और पनपे। उस समय उन्हें सांस्कृतिक और सामाजिक जागृति के रूप में देखा गया। जातियों के संगठन आजादी के आंदोलन में राष्ट्रीय जागृति के रूप में अस्तित्व में आये। इनका मूल उद्देश्य अपने-अपने समुदायों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुक्ति तथा उत्थान था। लेकिन समय के साथ ये संगठन राजनीतिक दबाव समूहों के रूप में बदलते चले गए और जातिवाद भारतीय राजनीति का अभिन्न अंग बन गया। जाति की राजनीति ने देश में राजनीतिक और सामाजिक संघर्ष भी पैदा किए हैं। स्वतंत्रता के बाद जाति संगठन प्रतिस्पर्धी संसदीय लोकतंत्र में अपनी संख्या के बल पर राजनीतिक दलों और सरकार पर अपनी शर्तें थोपने लगे। इक्कीसवीं सदी के दूसरे दशक में तो अब जातिगत पहचान एक भयावह रूप ले रही दिखती है। ब्रिटिश शासन के दौरान आधुनिक शिक्षा के प्रसार, उद्योगों के उदय और विकास, रेलवे की शुरुआत, परिवहन और संचार के विकास, तथा शहरी विकास ने नये सामाजिक वर्गों को जन्म दिया। ऐसा लगा था कि नये सामाजिक वर्ग जाति व्यवस्था के उन्मूलन की राह प्रशस्त करेंगे। जाति व्यवस्था के उन्मूलन में अंग्रेजों की कोई दिलचस्पी नहीं रही। उनके लिये भारतीय समाज का जातियों में विभाजन उनके राज के स्थायित्व के लिये अनुकूल था। औसती सदी में पनपे धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों में पहली बार जाति व्यवस्था का खुल कर विरोध हुआ। आजादी के बाद भी जाति प्रथा के खिलाफ माहौल बना रहा जब धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों में जाति व्यवस्था की निंदा की गई और इसका विरोध किया गया। लेकिन राजनीतिक आंदोलनों के उभरने के बाद सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन कमजोर होते चले गये। कुछ अध्येता मानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मुख्य रूप से राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर तो ध्यान केंद्रित किया मगर जाति और जातिवाद की समस्या से निपटने के लिए कोई रणनीति नहीं बनाई जिससे देश में जाति राजनीति के उदय और विकास के लिए जगह बनती चली गई। एक समय ऐसा भी था जब लोगों ने अपने नामों से जाति का हवाला हटाय़ा। लंबे समय तक राजस्थान की राजनीति में प्रभावी भूमिका निभाने वाली कमला बेनीवाल ने अपने नाम से बेनीवाल हटा दिया था। परंतु जातियों के उन्मूलन के प्रयास कारगर नहीं हुए। प्रतिस्पर्धी निर्वाचन प्रणाली के चलते हालात इस हद तक पहुंच गये हैं कि लोकतांत्रिक राजनीतिक और सामाजिक प्रक्रियाओं में अपने आप जातिवाद बाधा बनने लगा है। देश की रियासतों के एकीकरण के साथ बने गणतांत्रिक भारत में जहां सामंती अभिजात वर्ग की राजनीतिक व्यवस्था प्रभावी रूप में मौजूद थी वहां उसकी जगह लोकतंत्र की स्थापना की प्रक्रिया आसान नहीं थी। वह प्रक्रिया पूरी होती उससे पहले ही जातिवाद ने राजनीतिक अवसरवाद, विचारहीन और सिद्धांतहीन राजनीति को पनपा दिया। अब तो ऐसा लगता है जातिवाद के सामने सभी मजबूर हैं क्योंकि चुनावी राजनीति में जातियाँ ऐसा मोहरा बन गई हैं, जिसे चला कर पार्टियाँ सत्ता पर कब्जित होने का खाब देखती हैं।

कुछ राज्य सरकारों ने अपने राज्यों में जातियों की गणना करने का प्रयास किया तो तुरंत ही, पेशानी शुरू हो गई। जैसे कर्नाटक ने 2017 में एक विस्तृत जाति और सामाजिक-आर्थिक जनगणना की। पारंपरिक रूप से यह माना जाता रहा है कि दो प्रमुख और शक्तिशाली जाति समूह- लिंगायत और वोक्कालिगा - राज्य की आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा हैं। किन्तु लोक हुई जनगणना रिपोर्ट ने उस धारणा को उलट दिया है। एक समाचार रिपोर्ट के अनुसार जनगणना डेटा के अनुसार, कर्नाटक में दलितों और मुसलमानों के लिगायत लिगायतों और वोक्कालिगाओं से अधिक है। राज्य में कुछ आबादी में अनुसूचित जातियों की हिस्सेदारी 19.5 प्रतिशत है, जो इसे सबसे बड़ी जाति इकाई बनाती है। इसके बाद मुसलमान आते हैं, जो आबादी का 16 प्रतिशत हिस्सा बनाते हैं। इन दो समूहों के बाद लिंगायत और वोक्कालिगा आते हैं, जो क्रमशः '14 प्रतिशत और 11

भारत के संदर्भ में वर्ण-जाति को नस्लवाद के रूप में वर्णित करना, यहां की संस्कृति को खत्म करने की राजनीति का एक शक्तिशाली हथियार है। वे कहते हैं कि यदि कोई यह माने कि नस्लवाद हिंदू धर्म का अविभाज्य अंग है, तो फिर समझदारी यही होगी कि इस संकट से समाज को मुक्त कराने के लिए हिंदू धर्म से ही छुटकारा पा लिया जाए और ऐसा करने के लिए सभी को आपस में हाथ मिला लेना चाहिए।

पैदा कीं, जिन्होंने जाति को भारतीय समाज का केंद्रीय प्रतीक बना दिया। इस प्रतीक ने अपना काम बखूबी किया। जवाहरलाल नेहरू ने स्वीकार किया कि इसे दूर करने का कोई आसान तरीका नहीं है क्योंकि ऐसे सामाजिक रूपों की कल्पना करना आसान नहीं है जो जाति की भाषाओं से परे हों, जो रोजमर्रा की ज़िंदगी के अनुष्ठान, पारिवारिक, सामुदायिक, सामाजिक-आर्थिक, राजनीतिक और सार्वजनिक रंगमंचों में इतनी अंकित हो गई हैं। पश्चिम के लोगों के दिमाग में यह बैठ गया कि भारत में जातियाँ उनकी अपनी नस्लों की अवधारणा जैसी हैं। परिणामस्वरूप पश्चिमी अकादमिक लोगों की नजर में यह वैचारिक ढांचा भारतीय वर्ण और जाति को शोषण की प्रणाली बनाता कहा गया। शनैः शनैः पश्चिम के वैचारिक चरम वाले अकादमिक विद्वान वर्ण और जाति जाति व्यवस्था की तुलना पश्चिम में प्रचलित गुलामी और दास प्रथा जैसी व्यवस्थाओं से भी की करने लगे और इस देश की कई वर्तमान सामाजिक समस्याओं के लिए वर्ण और जाति को जिम्मेदार ठहराने लगे। इस अवधारणा का खंडन करने वालों का कहना है कि वैचारिक विमर्श में पश्चिम के अध्येताओं ने तीन बड़ी गलतियाँ कीं। वे यह मान कर चले कि भारत का विविध जातियों व श्रेणियों में विभाजित सामाजिक ढांचा पिछले हजारों वर्षों से अपरिवर्तनीय रहा है। वह जरा भी नहीं बदला है। दूसरे, वे वर्तमान समय की सभी प्रकार की सामाजिक समस्याओं का आधार प्राचीन काल की उत्पत्ति मान लेते हैं और भारतीय समाज की आज की समस्याओं के लिए वैदिक आधारा की दोषी ठहरा देते हैं। यह सोच उनकी अपनी नस्लीय विगत के चरम से बनी है। तीसरे, ये अध्येता भारत के लंबे इतिहास में एक बार नहीं बल्कि बार-बार आए बड़े पैमाने पर व्यवधानों को नजरअंदाज कर देते हैं या उन पर अपने सोच का मुलम्मा चढ़ा देते हैं। ऐसे मानने वालों की संख्या अब बढ़ रही है। हार्दय में वर्ण-जाति को नस्लवाद के रूप में वर्णित करना, यहां की संस्कृति को खत्म करने की राजनीति का एक शक्तिशाली हथियार है। वे कहते हैं कि यदि कोई यह माने कि नस्लवाद हिंदू धर्म का अविभाज्य अंग है, तो फिर समझदारी यही होगी कि इस संकट से समाज को मुक्त कराने के लिए हिंदू धर्म से ही छुटकारा पा लिया जाए और ऐसा करने के लिए सभी को आपस में हाथ मिला लेना चाहिए। ऐसा व्यंग्य कसने वालों का दावा केवल वैचारिक ही नहीं है। हाल में ही ऐसी आवाज़ें भी आई हैं जो हिन्दू धर्म का समूल नाश चाहती हैं।

सच तो यह है कि भारतीय धर्मशास्त्र के कई कथन रूपक हैं, और उसके कई छंद गूढ़ या अज्ञेय हैं जिन्हें अध्येता अपनी-अपनी नजर से व्याख्यायित करते हैं। इनमें मार्क्सवाद की दृष्टि प्रमुख है। मूल मार्क्सवाद एक आर्थिक वर्ग सिद्धांत था जिसमें कहा गया था कि प्रत्येक समाज को आर्थिक रूप से उपीडडित और उपीडनकारी के रूप में देखा जा सकता है। मार्क्स उन्हें धर्म या नस्ल के आधार पर अलग नहीं किया था जैसा कि उनके बाद उनके अनुयाइयों ने किया। मार्क्स के अनुसार केवल वे आर्थिक वर्ग जिनके पास उत्पादन के साधन नहीं थे, जो भूमिहीन मजदूर थे या कारखाने के मजदूर थे वे उपीडडित थे और जिनके पास उत्पादन के साधन थे, वे उपीडनकारी थे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद मार्क्सवादी विचारकों ने एक संशोधन दिया जो एक प्रकार का सांस्कृतिक मार्क्सवाद था, जो आर्थिक स्तर पर नहीं बल्कि सांस्कृतिक स्तर पर उपीडडित और उपीडनकारी के बीच भेद के बारे में बात करता था। इस प्रकार मार्क्सवादी विचारक 'अर्थ' से 'संस्कृति' पर चले आये। इसे फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ मार्क्सिज्म के नाम से जाना जाता है। एक महत्वपूर्ण अकादमिक विद्वान हर्बर्ट मार्कस ह्यूज ने मार्क्सवाद का नया मॉडल विकसित किया।और आर्थिक विषमता की जगह नस्ल-भेद का सिद्धांत दिया। उसमे मार्क्स के सिद्धांत को आर्थिक की जगह नस्ल पर लागू किया। मार्क्सवादी अकादमिक विद्वानों को अमरीका में 'क्रिटिकल लॉ थ्योरी' लाए थे उन्होंने उसे आगे बढ़ाते हुए क्रिटिकल रस थ्योरी बना दी। मार्क्सवादी विचारकों ने अब लिबरल बन कर 'क्रिटिकल रस थ्योरी' को 'क्रिटिकल कास्ट थ्योरी' में बदल दिया है, जो कहती है कि 'जाति' 'नस्ल' है, और दलित 'काले' लोग व गैर दलित 'गोरे' लोग हैं। हार्दय पहुंचे कुछ भारतीय दलितों ने भी अपनी एगो-दलित परियोजना को इस नये सिद्धांत में ढालने में सहयोग किया। इस परिपेक्ष्य में भी जाति जनगणना की मांग की राजनीति को देखा और समझा जा सकता है।

—अतिथि संपादक,
राजेन्द्र बोड़ा
(वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक)



रामनिवास बैरवा

बड़े और महत्वपूर्ण दो व्यक्तियों की गुप्त या प्रायोजित मीटिंगों का विवरण नहीं मिलता, लेकिन ऐसी मुलाकातों के बाद के घटनाक्रम और परिणाम यह बता देते हैं कि उस मीटिंग में क्या हुआ होगा। पिछले वर्ष (2024 में) केरल में हुई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कार्यकारिणी की बैठक में यह तय किया गया था कि भारत में जातीय जनगणना की जाये। उसी क्रम में 29 अप्रैल, 2025 को आर.एस.एस. के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने 7 लोक कल्याण मार्ग पर स्थित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके सरकारी आवास में मुलाकात की थी। अनुमान तो यह लगाया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष चुने जाने के संबंध में मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी के बीच चल रही खींचतान का कोई समाधान निकला गया होगा। लेकिन, 30 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रीमंडल की राजनीतिक समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी जनगणना के साथ जातिगत जनगणना भी करवाई जायेगी। हालाँकि, भारतीय जनतापार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार विपक्षी पार्टियों की जातीय गणना की मांग का निरन्तर विरोध करती रही है क्योंकि इससे हिंदू-मुस्लिमों को बांटने का उनका एजेंडा कमजोर होता है। लतात है भाजपा अध्यक्ष के चुनाव के मामले में कोई लेन-देन हुआ है।

जातिगत जनगणना की मांग विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के द्वारा अपने-अपने उद्देश्यों को लेकर काफी समय से की जा रही है। उनकी यह मांग जातियों के उन्मूलन या जातियों के

एकीकरण या जातियों सामाजिक उत्थान के लिए नहीं है बल्कि भारतीय समाज के जाति आधारित समाज के विभाजन को संवैधानिक स्थायित्व देने के लिए, उनको यथास्थिति में रखने के लिए की जा रही है। भारतीय जाति आधारित समाज के विभाजन को स्थायित्व देने का कार्य महात्मा गांधी ने भी 1930-32 के दौरान किया था। डॉ. भीमराव अम्बेडकर सभी पिछड़ों और अछूतों के सामाजिक उत्थान के लिए 'दलित' शब्द का इस्तेमाल करते थे ताकि दलितों को जातियों में उप-विभाजन को रोका जा सके।

भारत में संविधान के अंतर्गत लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसमें आम चुनाव के माध्यम से सरकार चलाने वालों को चुना जाता है। प्रत्येक नागरिक को वोट देने का अधिकार है। लेकिन, दलित-वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार नहीं है, वे केवल विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के द्वारा मनोनीत व्यक्तियों को ही वोट देकर चुन सकते हैं। भारतीय राजनीति में कांग्रेस पार्टी का एकाधिकार खतम होने पर, 1977 के चुनावों के बाद जब कांग्रेस पार्टी के अलावा अन्य पार्टियां भी सत्ता का स्वाद चख चुकी तो अपने अपने आपको सत्ता के केंद्र में बनाये रखने के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के वोटों को अपने पक्ष में लेने की मुहिम चली। जिससे परम्परागत चुनाव जीतने वालों के मुकाबले नये लोगों को भी चुना जा सका। तब 1990 में विश्वनाथ प्रसाद सिंह ने 'अन्य पिछड़ा वर्ग' को आरक्षण देने का संवैधानिक प्रावधान किया जो कि केवल सरकारी नौकरियों से संबंधित था। चुनावों के लिए अन्य पिछड़ा वर्गों (ओ.बी.सी.) को आम चुनावों में आरक्षण नहीं दिया गया लेकिन परम्परागत प्रभुत्वशाली लोगों का वर्चस्व टूटने पर ओबीसी के सम्पन्न लोग अपनी-अपनी पार्टियां बनाकर राज्यों में चुनाव जीतने लगे और सरकारें बनाने लगे।

जातियों की एकता- यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष है। उसकी स्थापना के पहले का भी 50-60 वर्ष का इतिहास है जो आर.एस.एस. को विरासत में मिला था। समाज में जातियों को अस्तित्व हजारों सालों से चला आने के कारण इसे सामान्य, अपरिवर्तनीय माना जाता था। जहां एक तरफ ज्योतिराव फुले, उनकी पत्नी सावित्री बाई फुले तथा उनकी सहयोगिनी फातिमा शेख सामाजिक चेतना जगाने के लिए भी अछूत बालिकाओं को शिक्षित करने का अलख जगा रहे थे, वहीं ब्राह्मण 1857 विद्रोह की असफलता के बाद बालगंगाधर तिलक "स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार" के नारे के साथ पुरानी सनातनी जाति व्यवस्था में किसी भी सुधार का विरोध करते थे। तब से जातियों और धर्म को अलग-अलग करके देkhना शुरू किया गया था। मुसलमानों के विरुद्ध सभी जातियों का सामूहिक इस्तेमाल करके उन्हीं बाल गंगाधर तिलक के मुस्लिम जातियों विचारधारा को बढ़ाने के लिए शिवाजी के नाम का इस्तेमाल किया।

वहीं डॉ. अम्बेडकर दलित-अछूत जातियों का शिक्षा दिलाकर सरकार के समर्थन से सरकारी नौकरियों के लिए रास्ता बना रहे थे। लेकिन, इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं होने के कारण सरकार के समर्थन की आशा करते थे। इनके विपरीत, गांधी जी पर्याप्त राजनीतिक पृष्ठभूमि होने और राजनीतिक समर्थन मिला होने के बावजूद जातियों में विभाजित भारतीय समाज की आध्यात्मिक सुरुचियों-कुरीतियों को बनाये रखने के लिए स्वयं संत महात्मा के रूप में अवतरित हुए और अपना राजनीतिक उत्तराधिकार जवाहरलाल नेहरू दे दे दिया। इस प्रकार कांग्रेस समाज के जातीय विभाजन को यथास्थिति में रखने के प्रयास किये।

भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सरकार बना लेने के बाद पूंजीपति-व्यापारी वर्ग का एकाधिकार जैसा हो जाने के कारण अन्य विरोधी राजनीतिक पार्टियों का सत्ता प्राप्ति का संघर्ष रूक सा गया है। भारतीय जनता पार्टी और आर.एस.एस. की सत्ता में बने रहने के लिए तथा विभिन्न जातियों को अपना समर्थक बनाये रखने के लिए उन्हें सामूहिक रूप से मुसलमानों के खिलाफ लामबद्ध करते हैं। मुस्लिम विरोध के हालात में यह हमारे लिए चिन्तन एवं चिंता का महत्वपूर्ण विषय होना चाहिये।

जहां रोजगार की गारंटी है (IIT, AIMS, IIM आदि) ऐसे श्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करने हेतु तथा सरकारी नौकरी के लिए कॉलेज के स्थान पर कोचिंग संस्थान युवाओं के आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। सरकारी नौकरी के लिए जो व्यवस्था बनाई है उसमें चयन के लिए युवकों को अपने परंपरागत कॉलेज के स्थान पर कोचिंग संस्थानों का अध्ययन-अध्यापन ज्यादा प्रभावी दिखाई दे रहा है। कोचिंग संस्थानों में प्रतियोगी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम के अनुरूप ही पढ़ने-लिखने की व्यवस्था कर रखी है। कोचिंग में केवल और केवल क्लास रूम टीचिंग ही है।

राजकीय अवकाशों की लम्बी श्रृंखला, छात्रसंघ चुनाव, नारेबाजी, हड़ताल जैसी गतिविधियों के लिए कोचिंग संस्थानों में कोच स्थान नहीं है। इन अनुवादक कार्यों में छात्रों को समय खराब नहीं करना पड़ता है। विद्यार्थियों की मानसिकता में एक अच्छा परिवर्तन यह आया है कि वे आज के प्रतियोगी माहौल में समय के

आर.एस.एस. को विरासत में मिला था। समाज में जातियों को अस्तित्व हजारों सालों से चला आने के कारण इसे सामान्य, अपरिवर्तनीय माना जाता था। जहां एक तरफ ज्योतिराव फुले, उनकी पत्नी सावित्री बाई फुले तथा उनकी सहयोगिनी फातिमा शेख सामाजिक चेतना जगाने के लिए भी अछूत बालिकाओं को शिक्षित करने का अलख जगा रहे थे, वहीं ब्राह्मण 1857 विद्रोह की असफलता के बाद बालगंगाधर तिलक "स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार" के नारे के साथ पुरानी सनातनी जाति व्यवस्था में किसी भी सुधार का विरोध करते थे। तब से जातियों और धर्म को अलग-अलग करके देkhना शुरू किया गया था। मुसलमानों के विरुद्ध सभी जातियों का सामूहिक इस्तेमाल करके उन्हीं बाल गंगाधर तिलक के मुस्लिम जातियों विचारधारा को बढ़ाने के लिए शिवाजी के नाम का इस्तेमाल किया।

वहीं डॉ. अम्बेडकर दलित-अछूत जातियों का शिक्षा दिलाकर सरकार के समर्थन से सरकारी नौकरियों के लिए रास्ता बना रहे थे। लेकिन, इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं होने के कारण सरकार के समर्थन की आशा करते थे। इनके विपरीत, गांधी जी पर्याप्त राजनीतिक पृष्ठभूमि होने और राजनीतिक समर्थन मिला होने के बावजूद जातियों में विभाजित भारतीय समाज की आध्यात्मिक सुरुचियों-कुरीतियों को बनाये रखने के लिए स्वयं संत महात्मा के रूप में अवतरित हुए और अपना राजनीतिक उत्तराधिकार जवाहरलाल नेहरू दे दे दिया। इस प्रकार कांग्रेस समाज के जातीय विभाजन को यथास्थिति में रखने के प्रयास किये।

भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सरकार बना लेने के बाद पूंजीपति-

व्यापारी वर्ग का एकाधिकार जैसा हो जाने के कारण अन्य विरोधी राजनीतिक पार्टियों का सत्ता प्राप्ति का संघर्ष रूक सा गया है। भारतीय जनता पार्टी और आर.एस.एस. की सत्ता में बने रहने के लिए तथा विभिन्न जातियों को अपना समर्थक बनाये रखने के लिए उन्हें सामूहिक रूप से मुसलमानों के खिलाफ लामबद्ध करते हैं। मुस्लिम विरोध के हालात में यह हमारे लिए चिन्तन एवं चिंता का महत्वपूर्ण विषय होना चाहिये।

जहां रोजगार की गारंटी है (IIT, AIMS, IIM आदि) ऐसे श्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करने हेतु तथा सरकारी नौकरी के लिए कॉलेज के स्थान पर कोचिंग संस्थान युवाओं के आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। सरकारी नौकरी के लिए जो व्यवस्था बनाई है उसमें चयन के लिए युवकों को अपने परंपरागत कॉलेज के स्थान पर कोचिंग संस्थानों का अध्ययन-अध्यापन ज्यादा प्रभावी दिखाई दे रहा है। कोचिंग संस्थानों में प्रतियोगी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम के अनुरूप ही पढ़ने-लिखने की व्यवस्था कर रखी है। कोचिंग में केवल और केवल क्लास रूम टीचिंग ही है।

राजकीय अवकाशों की लम्बी श्रृंखला, छात्रसंघ चुनाव, नारेबाजी, हड़ताल जैसी गतिविधियों के लिए कोचिंग संस्थानों में कोच स्थान नहीं है। इन अनुवादक कार्यों में छात्रों को समय खराब नहीं करना पड़ता है। विद्यार्थियों की मानसिकता में एक अच्छा परिवर्तन यह आया है कि वे आज के प्रतियोगी माहौल में समय के उपयोग के प्रति बहुत गंभीर हैं।

दूसरी ओर विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों की रचना का उद्देश्य ही भिन्न है। कॉलेज एवं विश्वविद्यालय में संचालन पर सरकार जहाँ करोड़ों रुपए खर्च कर रही है वहीं दूसरी ओर क्लास रूम खाली पड़े हैं। न्यायालय द्वारा निर्धारित 75% उपस्थिति का मजाक हो रहा है। शिक्षक, विद्यार्थी, माता-पिता, समाज सभी इस अव्यवस्था के साक्षी होने के बावजूद शान्त हैं परन्तु आखिर कब तक.....!

कब तरफ आलीशान भवन, फर्नीचर, प्रयोगशाला, पुस्तकालय एवं यू.जी.सी. द्वारा निर्धारित योग्यताधारी अध्यापक होने के बावजूद प्रातः 10:00 बजे जैसे अनुकूल समय पर भी विद्यार्थी क्लास रूम से दूर भाग रहा है और कोचिंग सेंटर में 10 बघा फीस देकर बेसमेंट में लगो बैठे गए। प्रातः 6:00 बजे सामान्य काउंसलर से बड़ी गंभीरता के साथ अध्ययनरत है। आज अभिभावक भी बच्चे को टचयुशन पर भेजकर गर्व का अनुभव करने लग गये हैं। ऐसी स्थिति में कोचिंग सेंटरस की आलोचना करने से काम नहीं चलेगा अपितु शोध की आवश्यकता यह है कि ऐसा क्यों हो

के नाम पर विभिन्न जातियों ने बनी छद्म एकता को तोड़ने के लिए जातिगत जनगणना का सहारा लिया गया जिससे विभिन्न जातियों के लोगों को समझाया जा सके कि उनकी जाति इतनी बड़ी संख्या में होने के बावजूद इन्हें सत्ता से दूर रखा जा रहा है। यही बात पिछले दो दशकों से चली आ रही है। भाजपा शासन में इसकी और भी आवश्यकता महसूस की जा रही है। जब कि आर.एस.एस. और भारतीय जनता पार्टी अपने मुस्लिम विरोधी विचारधारा के तहत ही जातियों को विभाजित रखने का प्रयास करती रही है, एक तरफ जहां मुसलमानों को हिन्दूओं का सामान्य शत्रु बनाकर पेश किया जा रहा है कुलीन और सवर्ण अछूत जातियों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष से यातनाएं देकर और अपमानित करके जाति व्यवस्था में ऊंच-नीच के भाव को जीवित कर जाति-व्यवस्था को पुनः स्थापित करते रहे हैं। इतनी बड़ी सामाजिक रणनीति के होते हुए भी आर.एस.एस. और भारतीय जनता पार्टी ने जातिगत जनगणना को स्वीकार किया है तो इसके की कई रणनीतिक पहलू सम्भवित है।

सबसे पहला तो यही कि हिन्दूओं को जातिगत विभाजन जनगणना में किया जा रहा है तो मुसलमानों को उसी धार्मिक एकता का लाभ नहीं मिलना चाहिए। इसके लिए यह सम्भव है कि मुसलमानों की भी विभिन्न जातियों को अलग से दर्शाया जाये। ऐसा ही ईसाइयों के साथ किया जाना सम्भव है। ऐसा करने से जातिगत रूप से सब अलग-अलग दिखाई देंगे। लेकिन फिर भी, धर्म का उल्लेख उन्हें हिन्दू, मुसलमान, ईसाइयों में समूहबद्ध कर देगा। इस प्रकार से विश्वी पार्टियों की मांग भी मान ली गई और सत्तारूढ़ पार्टी और आर.एस.एस. का धार्मिक ध्वजीकरण भी सहज ही हो जायेगा।

दूसरा विचार यह रहा है कि नौकरियों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण है, चुनावों में सिर्फ अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियों को ही आश्चर्य है, अतः जातिगत आधार पर जब तक निरपेक्ष चुनाव होता रहेगा, आर.एस.एस. भाजपा को धार्मिक आधार पर समर्थन

मिलते रहने की सम्भावना बनी रहेगी। शायद इन्हीं वैचारिक तर्कों के आधार पर आर.एस.एस. ने अपनी केरल की बैठक में जातिगत जनगणना का निर्णय लिया और नरेंद्र मोदी सरकार को मोहन भागवत ने नैदेशात्मक सलाह दी कि जातिगत जनगणना करवा ली जाये।

इसका कार्यपालिका के अधिकार का एक अन्य पहलू भी है। यह तो सबके सामने है कि 2021 में की जाने वाली जनगणना को जहां 5-6 साल तक स्थगित रखा गया है तथा इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। दूसरा यह है कि 2011 की जनगणना के आंशिक आंकड़े ही अभी तक जारी किये गये तो इस बात की क्या गारंटी है कि 2026 में आगामी जनगणना जो कि जातिगत आधार पर करने की कही जा रही है, पूरी कर ही ली जायेगी। और अगर जनगणना पूरी कर भी ली गई तो उसके आंकड़े तत्काल जारी कर ही दिये जायेंगे? घोषणाएं एक बात हैं और उन्हें अमल में लाना दूसरी बात है। फिर इस जनगणना से जुड़े और भी संवैधानिक प्रावधान हैं जिनमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं को सदस्य संख्या और निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः निर्धारण।

जातिगत जनगणना के बाद केवल धार्मिक आधार पर ही एकीकरण या ध्रुवीकरण क्यों आवश्यक है, क्या किसी और दूसरे रास्ते जातियों का एकताबद्ध होना संभव नहीं है? ऐसा संभव है, बस विचार लोक से हट कर करना होगा। जब किसान पूरे देश में किसान ही है तो फिर उन्हें किसान ही बने रहने देना होगा, क्यों उन्हें धर्म के आधार पर एकताबद्ध करने के लिए मजबूर किया जाये। इसी तरह से मजदूर पूरे देश में सिर्फ मजदूर ही है चाहे वे हिंदू हों, चाहे वे मुसलमान हों, चाहे वे ईसाई हों, उन्हें सिर्फ मजदूरों के रूप में ही एकताबद्ध क्यों ना किया जाये? यह उनका अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी है, धर्म उनकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान कभी नहीं हो सकती। सच है सत्ताधारी पार्टियों का अन्तीविरोध भारत की जनता के लिए राजनीतिक प्रशिक्षण के नये-नये द्वार खोलते रहेंगे।

—रामनिवास बैरवा
पूर्व क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

कॉलेज बनाम कोचिंग



डॉ. कैलाश सोडानी

आज से 15-20 वर्ष पूर्व तक विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में जो विद्यार्थियों का हजूम दिखाई देता था, वह आज नदारद है। विद्यार्थियों की अनुपस्थिति से विश्वविद्यालयों की रौनक एवं चहल-पहल ही समाप्त हो गयी है, साथ ही शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक माहौल भी मृतप्राय हो गया है, जो विश्वविद्यालयों की पहचान होती थी, वह पहचान ही समाप्त होती जा रही है। विद्यार्थियों की संख्या में प्रतिवर्ष इजाफा होने के बावजूद क्लास रूम हो, चाहे पुस्तकालय हो, चाहे प्रयोगशाला चारों ओर सन्नटा छाया हुआ है। कॉलेज में प्रवेश लेने के पश्चात अन्ततः छात्र जा कहाँ रहे हैं ? आज

के हालात में यह हमारे लिए चिन्तन एवं चिंता का महत्वपूर्ण विषय होना चाहिये।

जहां रोजगार की गारंटी है (IIT, AIMS, IIM आदि) ऐसे श्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करने हेतु तथा सरकारी नौकरी के लिए कॉलेज के स्थान पर कोचिंग संस्थान युवाओं के आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। सरकारी नौकरी के लिए जो व्यवस्था बनाई है उसमें चयन के लिए युवकों को अपने परंपरागत कॉलेज के स्थान पर कोचिंग संस्थानों का अध्ययन-अध्यापन ज्यादा प्रभावी दिखाई दे रहा है। कोचिंग संस्थानों में प्रतियोगी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम के अनुरूप ही पढ़ने-लिखने की व्यवस्था कर रखी है। कोचिंग में केवल और केवल क्लास रूम टीचिंग ही है।

राजकीय अवकाशों की लम्बी श्रृंखला, छात्रसंघ चुनाव, नारेबाजी, हड़ताल जैसी गतिविधियों के लिए कोचिंग संस्थानों में कोच स्थान नहीं है। इन अनुवादक कार्यों में छात्रों को समय खराब नहीं करना पड़ता है। विद्यार्थियों की मानसिकता में एक अच्छा परिवर्तन यह आया है कि वे आज के प्रतियोगी माहौल में समय के

उपयोग के प्रति बहुत गंभीर हैं। दूसरी ओर विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों की रचना का उद्देश्य ही भिन्न है। कॉलेज एवं विश्वविद्यालय में संचालन पर सरकार जहाँ करोड़ों रुपए खर्च कर रही है वहीं दूसरी ओर क्लास रूम खाली पड़े हैं। न्यायालय द्वारा निर्धारित 75% उपस्थिति का मजाक हो रहा है। शिक्षक, विद्यार्थी, माता-पिता, समाज सभी इस अव्यवस्था के साक्षी होने के बावजूद शान्त हैं परन्तु आखिर कब तक.....!

कब तरफ आलीशान भवन, फर्नीचर, प्रयोगशाला, पुस्तकालय एवं यू.जी.सी. द्वारा निर्धारित योग्यताधारी अध्यापक होने के बावजूद प्रातः 10:00 बजे जैसे अनुकूल समय पर भी विद्यार्थी क्लास रूम से दूर भाग रहा है और कोचिंग सेंटर में 10 बघा फीस देकर बेसमेंट में लगो बैठे गए। प्रातः 6:00 बजे सामान्य काउंसलर से बड़ी गंभीरता के साथ अध्ययनरत है। आज अभिभावक भी बच्चे को टचयुशन पर भेजकर गर्व का अनुभव करने लग गये हैं। ऐसी स्थिति में कोचिंग सेंटरस की आलोचना करने से काम नहीं चलेगा अपितु शोध की आवश्यकता यह है कि ऐसा क्यों हो

रहा है, और उसे ठीक करने के लिये हमारी वर्तमान व्यवस्था में किस प्रकार के परिवर्तन अपेक्षित हैं? न केवल भारत अपितु पृथिवी के कई देशों में टचयुशन का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। औपचारिक शिक्षा का सिस्टम कमजोर होने से कोचिंग को बढ़ावा मिला है। एक जानकारी के अनुसार भारत, पाकिस्तान से लेकर इंडोनेशिया तक करीब 25 करोड़ बच्चे टचयुशन ले रहे हैं। हांगकांग में 72%, दक्षिण कोरिया में 79%, जापान में 52% छात्र टचयुशन पढ़ते हैं। चीन में 2021 में पाबंदी से पहले 38% छात्र टचयुशन पढ़ते थे। हमारे देश में कोटा शहर कोचिंग की राष्ट्रीय राजधानी बन चुका है। जहाँ प्रतिवर्ष पूरे देश से लगभग दो लाख विद्यार्थी कोचिंग संस्थानों में अध्ययन करने आते हैं।

इस संक्षिप्त आलेख के माध्यम से मेरा सुझाव है कि सरकारी नौकरी में चयन हेतु आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के प्राप्तीकों की राष्ट्रीय राजधानी न स्नातकोत्तर परीक्षाओं में प्राप्त अंकों का 20 फीसदी से 30 फीसदी वजन रखा जाना चाहिये। निःसन्देह गणना कठिन है क्योंकि राज्यों की परीक्षा व्यवस्था में भिन्नताएं बहुत हैं। दूसरा,

विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों को आधार मान कर ही प्रतियोगी परीक्षाओं का पाठ्यक्रम बनाया जाना चाहिये। इससे कॉलेजों में स्वाभाविक रूप से उपस्थिति बढ़ेगी।

धरातल की सच्चाई को समझते हुए, कोचिंग संस्थानों की उपस्थिति को सहर्ष स्वीकार करते हुए सरकार को कॉलेजों की भांति कोचिंग संस्थानों को संचालित करने के लिये शिक्षकों, भवन, फर्नीचर, पुस्तकालय, आदि के लिए निवेश बनाने हुए लागू करना होगा, जिससे छात्रों को कॉलेजों की भांति कोचिंग सेंटर पर भी आवश्यक सुविधाएं मिलने लगेंगी। नालंदा और तक्षशिला के समय से इतिहास गवाह है कि हमें विश्वविद्यालयों की समाज में उपयोगिता बनाये रखनी है। हालात इतने खराब नहीं हैं इसलिए इन्हें पुनः जीवन्त किया जा सकता है और यथाशीघ्र किया जाना चाहिये। इस विषय पर विद्वान शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के मध्य चर्चा - परिचर्चा आवश्यक है।

—डॉ. कैलाश सोडानी,
कुलगुरु,
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

विवाह सम्मेलन में 85 जोड़े राइजिंग मेन पाइप लाइन से 23 अवैध जल कनेक्शन हटाए

सरवाड़, (निर्स)। सरवाड़ शहर में यदुवंशी सैनी समाज का नवम सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन समिति के तत्वावधान में मंगलवार को शहर स्थित यदुवंशी माली भवन में किया गया।

सम्मेलन में समाज के 85 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। वहीं बारात के माली भवन पहुंचने पर तोरण व

वरमाला की रस्म निभाई गई। बाद में पंडितों द्वारा 85 जोड़ों का पाणिग्रहण संस्कार करवाकर परिणय सूत्र में बांधा।

इस मौके पर समिति के अध्यक्ष ने कहा कि सामूहिक विवाह होते रहने चाहिए। वहीं समाज के लोगों में इस आयोजन को लेकर खासा उत्साह नजर आया। समिति के उपाध्यक्ष ने बताया कि सामूहिक विवाह सम्मेलन में समाज में एकता और सामूहिकता की भावना को बढ़ावा देने का प्रयास है। वहीं बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने सम्मेलन की तैयारियों को संभाले रखा। इस दौरान भामाशाहों का सम्मान भी किया गया। इस अवसर पर सम्मेलन में हजारों की संख्या में लोग शामिल रहे।

बताया कि सामूहिक विवाह सम्मेलन में समाज में एकता और सामूहिकता की भावना को बढ़ावा देने का प्रयास है। वहीं बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने सम्मेलन की तैयारियों को संभाले रखा। इस दौरान भामाशाहों का सम्मान भी किया गया। इस अवसर पर सम्मेलन में हजारों की संख्या में लोग शामिल रहे।

नसीराबाद, (निर्स)। ग्रामीण जल उपखंड नसीराबाद के अंतर्गत रामसर से तिहाड़ी तक की राइजिंग मेन पाइपलाइन पर जलदाय विभाग द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए 23 अवैध जल कनेक्शन हटा